**दिल्ली राजपत्र के भाग–चार के (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ,**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**बाट एवं माप विभाग,**
**कमरा सं0. 117–118 सी–ब्लाक, विकास भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली–110002**

**सं0फा0 8/18/एम डब्ल्यू एण्ड एम/विधिक/98/भाग–3/7436 दिनांकः 31/03/2011**

## अधिसूचना

सं0फा08/18/एम डब्ल्यू एण्ड एम/विधिक/98/भाग–3/ .–जबकि दिल्ली विधिक माप पद्वति (प्रवर्तन) नियमावली, 2010 (अब 2011) का प्रारूप इस सरकार की दिनांक 10 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या फा0 सं0फा0 8/18/एम डब्ल्यू एण्ड एम/ विधिक/98/पार्ट–3/6639 की धारा 2 के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा 4 की अपेक्षानुसार दिल्ली राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि में इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सुझाव/आपतियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ।

और जबकि उक्त राजपत्र जनता को 10 जनवरी, 2011 को उपलब्ध था,

और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में प्राप्त आपतियों/ सुझावों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था ।

अतः अब विधिक माप पद्वति अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (थ) के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार से परामर्ष करके उक्त अधिनियम के उपबंधों के कियान्वयन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) नियमावली 2011**

| | | |
|---|---|---|
| **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** | 1 | (1) यह नियमावली दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) नियमावली 2011 कही जा सकेगी।<br>(2) ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से यथानियत तिथि से प्रभावी होगी और इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों के लिये भिन्न–भिन्न तिथियां निश्चित की जा सकेगी। |
| **परिभाशायें** | 2 | 1. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस नियमावली में,<br>(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विधिक माप पद्धति अधिनियम, 2009 (2010 का 1) से है;<br>(ख) ''दिल्ली''का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;<br>(ग) ''सरकार'' का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, जिनकी नियुक्ति संविधान अनुच्छेद 239 एवं पदनामांकन अनुच्छेद 239 ए ए के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई है;<br>(घ) ''निदेश मानक प्रयोगशाला'' का तात्पर्य अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी ऐसी प्रयोगशाला से है, जहां निदेश मानक, द्वितीयक मानक और प्रचलित मानक बनाये रखे जाते हैं;<br>(ङ) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;<br><br>2. इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम मे परिभाषित शब्दों और पदो के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो इस अधिनियम में उनके लिये क्रमशः दिये गये हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| **निदेश मानक** | 3 | निदेश मानक ऐसे स्थान मे, ऐसी रीति से और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जो विधिक माप पद्धति ( राष्ट्रीय मानक ) नियमावली, 2010 के अधीन यथानिर्धारित है। |
| **द्वितीयक मानक** | 4 | (1) प्रत्येक द्वितीयक मानक का सत्यापन किसी भी निदेश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति से और ऐसे नियत कालिक अन्तरालों पर किया जायेगा, जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् ''सामान्य नियमावली'' के रूप में संदर्भित) और यदि उसे ऐसे सत्यापन पर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप पाया जाय तो उसे निदेश मानक प्रयोगशाला द्वारा स्टाम्पित／ठप्पा लगाया जायेगा अथवा सत्यापन प्रमाण पत्र उस प्रयोगशाला द्वारा जारी किया जायेगा।<br><br>(2) द्वितीयक मानक ऐसे स्थान में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जैसा नियंत्रक निर्देश दें। |
| **परिचलित मानक** | 5 | (1) प्रत्येक परिचालित मानक या तो संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में से किसी प्रयोगशाला में या सरकार द्वारा बनायी गई द्वितीयक मानक प्रयोगशाला के अनुसार ऐसी पद्धति सामान्य नियमावली में यथाविर्दिष्ट तथा यदि ऐसा सत्यापन पर अधिनियम द्वारा या अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं, तो उस प्रयोगशाला द्वारा ठप्पा लगाया जाएगा या प्रयोगशाला द्वारा सत्यापन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो।<br>(2) परिचालित मानक विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। |
| **द्वितीयक मानक तुलाएँ** | 6 | (1) द्वितीयक मानक तुला का एक सैट उस प्रत्येक स्थान पर रखा जाएगा जहां पर द्वितीयक मानक बाट रखे जाते हैं।<br><br>(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, प्रकार तथा विशेष विवरण／विनिर्देश विधिक माप पद्धति सामान्य नियमावली, के अधीन विहित किये जायेंगे।<br><br>(3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला एक वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित की जायेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय क्वालिटियों के भीतर सही कराने के लिये उसको निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, समायोजित किया जायेगा। |
| **प्रचलित मानक तुलाएँ** | 7 | (1) प्रचलित मानक तुलाओं का एक सेट (समूह) ऐसे प्रत्येक स्थान पर बनाये रखा जायगा जहां प्रचलित मानक बाट रखे जाते हैं।<br><br>(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, किस्में और विनिर्देश ऐसे होंगे, जैसी विधिक माप पद्धति (सामान्य) नियमावली, 2010 के अधीन विहित की जाये।<br><br>(3) प्रत्येक प्रचलित मानक तुला का एक वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे विधिक माप पद्धति (सामान्य ) नियमावली, 2010 के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय क्वालिटियों के भीतर निर्देश मानक प्रयोगशाला अथवा अन्य स्थान पर जहाँ राज्य सरकार द्वारा द्वितीयक मानक प्रयोगशाला बनाये रखे जाते है, के द्वारा, समायोजित किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| **बाटों और मापों के भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरे** | 8 | किसी लेन देन में प्रयुक्त किए जाने वाले या सुरक्षा के लिये प्रयुक्त या अभीष्ट प्रत्येक बाट या मापक अधिनियम या विधिक माप पद्धति (सामान्य) नियमावली, 2010 के अन्तर्गत निर्धारित विनिवेश के अनुसार वास्तविक विशेषताएं, आकृति, रचनात्मक विवरण, सामग्री कार्य, सहन तथा ऐसे अन्य विवरण अनुरूप होंगे। |
| **सर्राफा बाटों (बुलियन बाटों), कैरट बाटों आदि का उपयोग** | 9 | (1) सामान्य नियमावली, 2010 में यथविनिर्दिष्ट सर्राफा बांटों के अतिरिक्त कोई अन्य बाट बहुमूल्य धातु,, मोती और आभूषण और स्वर्ण या रजत की अन्य वस्तुएं सहित सर्राफा संबंधी किसी लेन देन या संरक्षण में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।<br><br>(2) कैरट बाट से भिन्न किसी बाट का बहुमूल्य रत्नों के किसी संव्यवहार या संरक्षण मे उपयोग नहीं किया जायेगा।<br><br>(3) उप नियम (1) एवं (2) में सन्दर्भित किसी कारोबार या संरक्षण में ''क'' श्रेणी या ''ख'' श्रेणी का केवल बीम कांटा/तुला या उच्च शुद्धता श्रेणी (श्रेणी–2) का भार तोलने वाला नॉन आटोमेटिक यंत्र या विशेष शुद्धता श्रेणी (श्रेणी–1) का यंत्र प्रयुक्त किया जाएगा। |
| **कुछेक मामलों में केवल बाटों या केवल मापों या केवल संख्याओं उपयोग** | 10 | **अनुसूची एक** में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले के सिवाय, प्रत्येक संव्यवहार, लेन देन या संविदा में, या संरक्षण के लिए मात्रा की घोषणा इकाई में होगी :–<br>(क) बाट, यदि वस्तु ठोस, ठोसवत्, लसीली चिपचिपी या ठोस तथा तरल का मिश्रण हो तो वजन की इकाई के रूप में होगी;;<br><br>(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो लम्बाई की इकाई के रूप में होगी;<br><br>(ग) यदि वस्तु का क्षेत्रीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो क्षेत्रफल की इकाई के रूप में होगी;<br><br>(घ) यदि वस्तु द्रव है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है, तो आयतन की इकाई के रूप में होगी; या<br><br>(ड.) यदि वस्तु का विक्रय संख्या में किया जाता है, तो संख्या की इकाई के रूप में होगी। |
| **बाट और माप विनिर्माताओं, मरम्मत करने वालों और व्यापारी को लाइसेन्स देना** | 11 | (1) बाट या मापक का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मतकर्ता, व्यापारी **अनुसूची–2क** में उल्लिखित उपयुक्त प्रपत्र में नियंत्रक विधि माप पद्धति या उसके द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य अधिकारी को लाइसेंस जारी करने के लिये आवेदन करेगा।<br>शर्त यह है कि मरम्मत के लिय कोई लाइसेंस विनिर्माता द्वारा विनिर्मित बाट या मापक की मरम्मत करने के लिये किसी विनिर्माता द्वारा अपेक्षित तथा उस बाट/मापक का विनिर्माण करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन विनिर्माता को मरम्मत के संबंध में सम्बद्ध विधिक माप पद्धति अधिकारी को अग्रिम में सूचित करना होता है।<br><br>(2) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यापारी लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व नियंत्रक विधिक माप पद्धति या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्राधिकृत किया गया हो, लाइसेन्स के नवीकरण के लिये **अनुसूची दो–ख** में दिये गये समुचित प्रपत्र में आवेदन करेगा।<br><br>(3) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाला या व्यापारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस **अनुसूची तीन** में दिये गये समुचित प्रपत्र में होगा।<br><br>(4) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाला या व्यापारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस एक कैलेन्डर वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा और नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय **अनुसूची चार** मे निर्दिश्ट देय आवष्यक फीस के भुगतान पर एक से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा।<br><br>(5) लाइसेंस में संशोधन या लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये देय फी वह होगी जो **अनुसूची चार** में विनिर्दिश्ट है ।<br><br>शर्त यह है कि पूरी दरों पर अतिरिक्त शुल्क आवेदक द्वारा देय होगा यदि नियंत्रक द्वारा लाइसेंस की समाप्ति की तिथि के तीन माह की अवधि के भीतर किसी लाइसेंस के नवीनकरण के लिये आवेदन करने के लिये अनुमत्त है।<br><br>(6) नियंत्रक या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, **अनुसूची पाँच** में दिये गये प्रपत्र में विनिर्माताओं, व्यापारियों और मरम्मत करने वालों का एक लाइसेंस रजिस्टर रखेगा।<br><br>(7) अधिनियम और इस नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता एवं व्यापारी, जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ऐसे आवष्यक कार्यषाला / उपकरण / औजार / रजिस्टर आदि बनाये रखेगा।<br><br>(8) अधिनियम और नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक मरम्मतकर्ता लाइसेंसी, प्रत्येक लाइसेंस के लिये राज्य सरकार को ऐसी प्रतिभूति जमा करेगा, जैसी **अनुसूची छः** मे विनिर्दिष्ट है।<br><br>(9) इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस, उस परिसर में किसी स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा जिस पर लाइसेंसधारी का व्यापार चलता है।<br><br>(10) अधिनियम के अधीन जारी किया गया या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस को न तो विक्रय किया जायेगा और न ही हस्तान्तरण किया जायेगा। |
| **दिये गये लाइसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण** | 12 | (1) नियंत्रक या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये जाये, यदि पर्याप्त कारणो से उसका समाधान हो जाता है कि अधिनियम के अधीन दिये गये या नवीकृत किये गये या बनाये रखे गये किसी लाइसेंस के धारक ने लाइसेंस दिये जाने, नवीकरण किये जाने या बनाये रखने के आवेदन पत्र मे या उसके सम्बन्ध मे कोई सूचना दी है, जो कि तथ्य–विशेष मे गलत या असत्य है, या अधिनियम या उसके अधीन विहित नियमों के विरुद्ध है, लाइसेंस धारक के विरुद्ध जाँच पूर्ण होने तक लाइसेंस निलम्बित कर सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | परन्तु ऐसा लाइसेंस तब तक निलम्बित नही किया जायेगा, जब तक कि लाइसेंस धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।<br><br>परन्तु यह भी कि यदि इस उपनियम के अन्तर्गत लाइसेंस के निलम्बन के दिनांक से तीन माह की अवधि के अन्दर जाँच पूर्ण नही होती है, तो ऐसा निलम्बन उक्त अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगा।<br><br>(2) नियंत्रक या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऐसी किसी जाँच के बाद जिसे वह उचित समझे, यदि सन्तुष्ट हो जाता है, कि किसी लाइसेंस धारक ने उपनियम (1) मे उल्लिखित प्रकृति की कोई असत्य या गलत सूचना दी है या उपनियम (1) मे उल्लिखित किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है तो वह उस लाइसेंस को निरस्त कर सकता है।<br><br>परन्तु ऐसा लाइसेंस तब तक निरस्त नही किया जायेगा, जब तक लाइसेंस धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने के लिये पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।<br><br>(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है ऐसे निलम्बन के तत्काल बाद से ऐसे लाइसेंसी के रुप मे कार्य करना बन्द कर देगा और ऐसे लाइसेंसी के रुप मे तब तक व्यवसाय पुनःआरम्भ नही करेगा जब तक ऐसे निलम्बन का आदेश निष्प्रभावी न कर दिया जाय अथवा हो जाय।<br><br>(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसका लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया गया है, ऐसे निलम्बन या निरस्तीकरण के बाद, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे लाइसेंस को उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा लाइसेंस दिया गया था; अभ्यर्पित कर देगा।<br><br>(5) प्रत्येक लाइसेंसी जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, ऐसे निरस्तीकरण के दिनांक से तीस दिनो की अवधि के अन्दर या नियंत्रक अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण बताये जाने पर बढ़ायी गयी अवधि जो कि तीन माह से अनाधिक हो, के अन्दर ऐसे बाटों और मापों का जो निरस्तीकरण के दिनांक को उसके अधिकार, अभिरक्षा, या नियंत्रण में है, निस्तारण करेगा, और ऐसा करने में असफल रहने पर नियंत्रक या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा लिखित रुप से इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, उनको अभिग्रहीत और निस्तारित करेगा और जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय उस रीति से आगम का वितरण करेगा। |
| **विनिर्माताओं आदि द्वारा अभिलेख का रखा जाना** | 13 | (1) अधिनियम और इस नियमावली के अधीन बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यवहारी लाइसेंसी **अनुसूची सात** में दिये गये समुचित प्रपत्र में अभिलेख और रजिस्टर रखेगा तथा ऐसी नियतकालिक सूचनाएं/ विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए। |
| **बाटों या मापों का सत्यापन और निरीक्षण** | 14 | (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के |

| | | |
|---|---|---|
| | | कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित है :<br><br>परन्तु जहां कोई बाट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिये, वहां वह व्यक्ति, जो ऐसे बाट या माप का उपयोग कर रहा है, उस दिनांक से, जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित हो कम से कम तीस दिन पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।<br><br>(2) जहां कोई बांट या माप ऐसा है कि वह उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटया नहीं जाना चाहिये, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे बाट या माप की अवस्थिति के स्थान पर उसके सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।<br><br>(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपयोक्ता ऐसी सुविधायें देगा जैसा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।<br><br>(4) सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बाट या माप स्वयं में पूर्ण होगा।<br><br>(5) प्रत्येक बाट या माप साफ–सुथरी हालत में सत्यापित किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी स्वामी या उपयोक्ता से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा।<br><br>(6) कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप का, जिसका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित है यासम्भाव्य है, निरीक्षण और परीक्षण करने के लिये अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक भू–गृहदि का नियम 14 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान यथासम्भव बार–बार निरीक्षण करेगा।<br><br>(7) विधिक माप विज्ञान अधिकारी बाट या माप पर लगाये गये स्टाम्प को मिटा देगा, यदि निरीक्षण के समय पाया जाता है कि–<br><br>(क) कोई बाट या माप जिसका पुनः सत्यापन होना था, पुनः सत्यापन के लिये प्रस्तुत नही किया गया।<br><br>(ख) कोई बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरूप नही है।<br><br>परन्तु जहाँ विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसा समझता है कि ऐसे बाट या माप मे त्रुटि या अशुद्धि ऐसी नही है कि स्टाम्प मिटाया जाना तत्काल आवश्यक है,तो वह बाट या माप मे पायी गयी त्रुटि या अशुद्धि की सूचना उपयोक्ता को देगा और उपयोक्ता से ऐसे समय के अन्दर जो आठ दिनो से अधिक नही होगा, त्रुटि या अशुद्धि को हटाने के लिये कहेगा और– |

| | | |
|---|---|---|
| | | (i) यदि उपयोक्ता उक्त अवधि मे त्रुटि या अशुद्धि को हटाने मे असफल रहता है तो स्टाम्प मिटा देगा या<br><br>(ii) यदि त्रुटि या अशुद्धि को इस प्रकार हटा दिया जाता है कि वह बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरूप हो जाय तो ऐसे बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन करेगा।<br><br>**स्पष्टीकरण** :–किसी बाट या माप पर स्टाम्प का मिटाया जाना, अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान अधिकारी के ऐसे बाट या माप को अभिग्रहीत करने के अधिकार को समाप्त या कम नही करेगा। |
| **बाटों या मापों को स्टाम्पित करना** | 15 | (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, यदि जाँच और सत्यापन के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है तो प्रत्येक बाट या माप को नियंत्रक द्वारा दी गई एक ही प्रकार की, डिजाइन की ऐसी स्टाम्प से स्टाम्पित करेगा, जिसमें प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जो उसे स्टाम्पित करता है, आबंटित संख्यांक दिया हुआ होगा।<br><br>परन्तु, यदि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वांछनीय या साध्य नहीं है तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा नियंत्रक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा निर्देश दिया जाए।<br><br>(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी, सिवाय उस दशा के जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो, चिन्हांकित करेगा।<br><br>**स्पष्टीकरण** – कोई वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जायगा जिसमें से प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च मास की होगी जिसे 'क' से चिन्हित किया जायेगा, द्वितीय तिमाही अप्रैल, मई और जून मास की होगी जिसे 'ख' से चिन्हित किया जायेगा, तृतीय तिमाही जुलाई, अगस्त और सितम्बर मास की होगी जिसे 'ग' से चिन्हित किया जायेगा और चतुर्थ तिमाही अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी जिसे 'घ' से चिन्हित किया जायेगा ।<br><br>(3) सत्यापन और स्टाम्पन पूरा होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी **अनुसूची आठ** में दिये गये प्रपत्र में सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करेगा।<br>(4) जहां कोई सत्यापन प्रमाण–पत्र खो जाय, या नष्ट हो जाय, वहां सत्यापन प्रमाण–पत्र का धारक सत्यापन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा जिसने प्रमाण–पत्र जारी किया था। प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन–पत्र के साथ दस रूपये की फीस संलग्न होंगी।<br><br>(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति |

| | | |
|---|---|---|
| | | जारी करेगा जिस पर ''द्वितीय प्रति'' चिन्हित होगा। |
| **सत्यापन व स्टाम्पन के लिए फीस** | 16 | (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस वह होगी जो **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट है।<br><br>(2) यदि बाट या माप के उपयोक्ता के अनुरोध पर सत्यापन विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय से भिन्न किसी भू–गृहादि पर किया जाता है तो **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायगी और बाट या माप का उपयोक्ता भू–गृहादि का निरीक्षण करने के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किये गये व्यय का, जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानक और अन्य उपकरण के परिवहन और उसकी उठाई–धराई का व्यय भी है, भुगतान भी करेगा जो कम से कम एक सौ रूपये होगा।<br><br>परन्तु निम्नलिखित बाट या माप के यथावत सत्यापन और स्टाम्पन के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जायगी।<br><br>(i) पेट्रोलियम पदार्थों एवं अन्य द्रवों के लिये यान की टंकी (वेहिकिल टैंक), पानी से भिन्न अन्य द्रवो के मीटर (फ्यूल डिस्पेन्सर, द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूध डिस्पेन्सर ),सम्पीड़ित (कम्प्रेस्ड) प्राकृतिक गैस डिस्पेन्सर, गैर–स्वचालित तौल यंत्र जैसे वेब्रिज, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग यंत्र, स्वचालित रेल वेब्रिज, स्वचालित असतत् योगीकरण तौल यंत्र, और ऐसे अन्य बाट या माप जिन्हे उनके स्थान से हटाया नही जा सकता, और हटाया नहीं जाना चाहिए।<br><br>(ii) ऐसे बाट या माप के विनिर्माता या व्यवहारी के भू–गृहादि में के बाट या माप।<br><br>(3) यदि कोई बाट या माप स्टाम्प की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है तो **अनुसूची नौ** में निर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए देय होगी।<br><br>(4) किसी विनिर्माता या व्यवहारी के स्टाक में के किसी बाट या माप के, उस दिनांक से जब उस पर अन्तिम बार स्टाम्पन किया गया था, नियम–14 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनःस्टाम्पन के लिये पूरी फीस देय होगी, बशर्ते कि मूल स्टाम्प मिटा न दी गई हो।<br><br>(5) कोई बाट या माप जिसे सत्यापन/निरीक्षण पर ठीक न पाया जाय समायोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को उसमें पायी गई त्रुटियों की, नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जानकारी देते हुए, और उन त्रुटियों को सात दिन से अनधिक अवधि के भीतर दूर करने की उससे अपेक्षा करते हुए लौटा दिया जायगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया गया हो, तब ऐसे बाट या माप का **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान कर दिये जाने पर सत्यापन किया जाएगा और यदि ठीक पाया जाए तो उसे स्टाम्पित किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| **फीस का संग्रहण और उसका कोषागार में जमा किया जाना** | 17 | (1) सत्यापन या पुनः सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को उसके द्वारा देय फीस की सूचना देगा और जैसा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया जाय उस रीति से उसे प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में रसीद देगा, ऐसी रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।<br><br>परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस नियमावली के अधीन देय फीस की वसूली ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी नियंत्रक द्वारा निर्देशित की जाए।<br><br>(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसे दिन प्रतिदिन भरा जायगा और उसमें उस दिन के दौरान संग्रह की गई फीस और अन्य प्रभार की धनराशि दिखायी जाएगी।<br><br>(3) सप्ताह के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये समस्त भुगतान सरकारी कोषागार में समुचित ''लेखा शीर्षक'' के अधीन ऐसे दिनांकों या दिनों को जमा किये जायेंगे जैसा नियंत्रक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए और उनकी रसीद प्राप्त की जायगी और उस आशय की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जायगी। |
| **अभिग्रहीत बाटों मापों आदि का निस्तारण** | 18 | (1) प्रत्येक असत्यापित बाट या माप उस व्यक्ति को जिससे ऐसा बाट या माप अभिग्रहीत किया गया था, वापस कर दिया जायेगा यदि वह व्यक्ति अभिग्रहीत किये जाने के पन्द्रह दिनो के अन्दर स्टाम्पन की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनःसत्यापन के लिये देय विहित फीस, जिसमे अतिरिक्त फीस समाहित है, का भुगतान कर उसका सत्यापन और स्टाम्पन करा लेता है।<br><br>(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिगृहीत और निरूद्ध किसी ऐसे बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु को जिसे किसी न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय होना है, विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और न्यायालय कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात विधिक माप विज्ञान अधिकारी उसे अपने कब्जे में ले लेगा और न्यायालय के आदेशानसुार कार्यवाही करेगा।<br><br>परन्तु न्यायालय के आदेशों के अभाव में, ऐसे बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु का उसी प्रकार निस्तारण किया जाएगा जैसा नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे और उसकी सामग्री को बेच दिया जायगा और विक्रय आगम सरकार को जमा किये जायेंगे।<br><br>(3) यदि अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिगृहीत कोई माल शीघ्रतया या पंकृत्याक्षयशील है तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी अपने पास या अपराध स्थल के निकट उपलब्ध तौल या माप के उपकरण पर, जो सत्यापित है माल की तौल या माप करायेगा और माल की वास्तविक तौल या माप की इस प्रयोजन के लिये नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में प्रविष्ट करेगा और व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति के जिसने अपराध किया है, हस्ताक्षर लेगा। प्रश्नगत माल, व्यापारी या क्रेता को, जैसी भी स्थिति हो, वापस कर दिया जायगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | | परन्तु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है) प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इन्कार करने के समय उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। व्यापारी को वापस किये गये माल के सम्बन्ध मे वह व्यापारी आश्वासन देगा कि वह त्रुटिपूर्ण माल का विक्रय त्रुटि का सुधार किये बिना नही करेगा।<br><br>(4) जहां अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत माल किसी पैकेज मे रखा गया है और पैकेज मिथ्या है अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है और ऐसे पैकेज में माल शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील है, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी, यथासम्भव, उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पैकेज के माल का निस्तारण कर सकता है।<br><br>परन्तु नियंत्रक को यह विनिश्चय करने का अन्तिम प्राधिकार होगा कि अभिग्रहीत और निरुद्व किया गया माल शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील है अथवा नही ।<br><br>(5) जहां अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(1) के अधीन अभिग्रहीत माल शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील नहीं है वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति को (जिसने अपराध किया है) ऐसे अभिग्रहण की सूचना देने के पश्चात् पैकेज को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनार्थ रोके रख सकता है।<br><br>(6) उप नियम (4) एवं (5) मे उल्लेख किये गये माल का, जो किसी न्यायालय की कार्यवाही का विषय नही होना है, के सम्बन्ध मे अभिग्रहण के साठ दिनो की समाप्ति के पश्चात ऐसी कार्यवाही की जायेगी जैसी नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करें । |
| **सम्यक रुप से सत्यापित बाट या माप की विधिमान्यता** | 19 | (1) कोई बाट या माप जो नियमानुसार सम्यक रुप से सत्यापित और स्टाम्पित है, या ऐसा समझा जाता है, उस राज्य के अन्दर सभी स्थानो पर जिस राज्य में यह सत्यापित किया गया है, अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरुप समझा जायेगा जब तक कि निरीक्षण या सत्यापन पर यह नही पाया जाता कि ऐसा बाट या माप अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये मानको के अनुरुप नही रह गया है।<br><br>(2) किसी बाट या माप को, जो अधिनियम के अधीन सम्यक रुप से सत्यापित और स्टाम्पित है, या ऐसा समझा जाता है, मात्र इस कारण से पुनःस्टाम्पित किया जाना अनिवार्य नही होगा कि उसका उपयोग राज्य के भीतर उस स्थान से भिन्न, जहाँ इसे मूल रुप से सत्यापित और स्टाम्पित किया गया था, किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है,<br><br>परन्तु जहाँ कोई सत्यापित बाट या माप जो एक स्थान पर स्थापित है, को खोलकर दूसरे स्थान पर पुनःस्थापित किया जाता है,तो ऐसे बाट या माप का इस बात के रहते हुए भी कि ऐसा बाट या माप |

| | | |
|---|---|---|
| | | नियतकालिक पुनःसत्यापन हेतु देय नही हुआ है, तब तक उपयोग नही किया जायेगा जब तक ऐसे बाट या माप का पुनःसत्यापन और स्टाम्पन नही करा लिया गया है।<br><br>(3) जहाँ किसी सत्यापित बाट या माप की लाइसेंस धारक मरम्मतकर्ता द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा, जिसके स्वामित्व या अधिकार में यह है, मरम्मत की जाती है तो, ऐसे बाट या माप का इस बात के रहते हुए भी कि ऐसा बाट या माप नियतकालिक पुनःसत्यापन हेतु देय नही हुआ है, तब तक उपयोग नही किया जायेगा जब तक ऐसे बाट या माप का पुनःसत्यापन और स्टाम्पन नही करा लिया गया है। |
| **विधिक माप विज्ञान अधिकारी के लिए कार्यकारी मानक द्वितीयक मानक उपस्कर आदि की आपूर्ति सम्बन्धी उपबन्ध** | 20 | (1) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकारी मानक/द्वितीयक मानक बाट, कार्यकारी मानक/द्वितीयक मानक तुलाएं और ऐसे अन्य उपस्कर, जिसके अन्तर्गत / तौल और माप के ऐसे यन्त्र भी है जो नियंत्रक द्वारा समय समय पर अनुमोदित किये जाये,, दिये जायेंगे।<br><br>(2) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ऐसे ठप्पे (डाइयां), पंच, पेपर सील/ स्टीकर और ऐसे अन्य उपस्कर दिये जायेंगे जो सत्यापन स्टाम्प लगाने के लिये आवश्यक हों, जिनकी डिजाइन और संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जायेगी।<br><br>(3) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को स्टाम्प मिटाने के लिए नीचे निर्दिष्ट आठ नोक वाले तारे का उपयुक्त आकार का पंच दिया जायेगा।<br><br>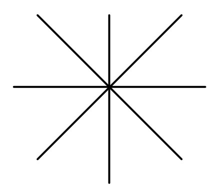 |
| **बाटों, मापों आदि के उपयोग से संबंधित उपबंध** | 21 | (1) अपने भू–गृहादि में किसी संव्यवहार में डंडी वाली तराजू का उपयोगकरने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस तराजू को स्टैण्ड पर या हुक द्वारा चेन पर लटकायेगा। परन्तु यह उपनियम फेरी लगाकर बेचने वालों पर लागू नहीं होगा।<br><br>(2) प्रत्येक बाट या माप का साफ सुथरी हालत में और रोशनी की समुचित व्यवस्थामें उपयोग किया जाएगा।<br><br>(3) किसी ऐसे बाट या माप को जो यथावत् सत्यापित और स्टाम्पित किया गया है,सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना उसके मूल स्थान से उखाड़ा और हटाया नही जाएगा।<br><br>(4) तौल के किसी उपकरण की यथार्थता की समुचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये उपयोक्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग के बराबर सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टाम्पित बाट प्रत्येक तौल के उपकरण के स्थान पर रखेगा और उपभोक्ता भी ताल के उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | परन्तु, नियंत्रक उस व्यापार भू–गृहादि में जहां तौलने के एक से अधिक उपकरण है, बनाये रखे जाने वाले कुल सत्यापित और स्टाम्पित बाटों की संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।<br><br>(5) पेट्रोल/डीजल पम्पों से ठीक वितरण सुनिश्चत करने के लिये फुटकर व्यापारी पाँच लीटर/दस लीटर का सत्यापित क्षमता माप अपने परिसर मे रखेगा और ठीक वितरण को सुनिश्चत करने के लिये प्रतिदिन पम्प से निकासी की जाँच करेगा । किसी कम वितरण की दशा मे व्यापारी तुरन्त पम्प के द्वारा वितरण रोक देगा और सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पुनःसत्यापन (रिकैलिबरेशन )के लिये सूचित करेगा। |
| **सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना** | 22 | वह व्यक्ति जिसे सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया है उस प्रमाण पत्र को भू–गृहादि में जहां ऐसे बाट, माप या तौल या माप–उपकरण जिसके सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र है, उपयोग में लाये जा रहे हैं, किसी सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा।<br><br>परन्तु फेरी लगाकर बेचने वाले की दशा में प्रमाण–पत्र व्यक्ति के साथ रहेगा।<br><br>परन्तु यह और कि यान टैंक की दशा में सत्यापन प्रमाण–पत्र यान के साथ रहेगा। |
| **नियमो के उल्लंघन के लिये शास्ति** | 23 | जो कोई इस नियमावली के किसी ऐसे उपबन्ध का, जिसके उल्लंघन के लिए किसी दण्ड का अधिनियम में पृथक् रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है। किसी समय पर अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों मे विरोध होने पर अधिनियम अभिभावी होगा। |
| **अपील का प्रपत्र** | 24 | (1) अधिनियम और इस नियमावली के अधीन प्रत्येक अपील **अनुसूची दस** में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत की जायगी और जिस आदेश की अपील की गई है। उसकी एक प्रति उसके साथ रहेगी।<br><br>(2) राज्य सरकार को अपील करने के लिये रु0 500.00 की फीस का एवं नियंत्रक को अपील करने के लिये रु0 200.00 की फीस का नगद द्वारा या उक्त धनराशि का कोर्ट फीस टिकट लगाकर, जैसी भी स्थिति हो, आवेदन के साथ संलग्न कर भुगतान किया जायेगा। |
| **अपराधों के शमन के लिए फीस** | 25 | अधिनियम से आच्छादित अपराधो के शमन हेतु फीस वह होगी जो **अनुसूची–11**में विहित है। |
| **निरसन एवं बचाव** | 26 | (1) दिल्ली मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) नियमावली, 1988 इन नियमों के जारी होने की तिथि से निष्प्रभावी हो जाएगी।<br>(2) किसी ऐसी निरसन या उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों के अन्तर्गत किए गए कुछ या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिये अभीष्ट या प्रदान किये गए लाइसेंस में कुछ भी रहते हुए यहां तक ये जो इन नियमों या विधिक माप पद्धति अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अन्तर्गत नहीं है, इन नियमों के सम्बद्ध उपबंधों के अन्तर्गत किया गया या की गई कार्रवाई या प्रदान किया गया मान लिया जाएगा |

**अनुसूची–एक**

नियम 10 देखिये ,

**नियम 10 में निर्दिष्ट अपवाद**

1– निम्नलिखित वस्तुएँ भार, माप या संख्या द्वारा बेची जा सकती हैं, जैसा कि वस्तु के सामने दिया गया है।

| **क्रम संख्या** | **वस्तु** | **क्या घोधणा बाट, माप या संख्या के रूप में या उनमें से दो या अधिक के रूप मे अभिव्यक्त की जानी है।** |
|---|---|---|
| 1 | ऐरोसाल उत्पाद | भार |
| 2 | द्रव के रूप में ऐसिड | भार या आयतन |
| 3 | संपीडित या द्रवित गैस (किन्तु द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं ) | भार और समतुल्य आयतन, उल्लिखित तापमान और दबाव पर |
| 4 | मक्खन(जिसके अन्तर्गत मूंगफली मक्खन भी है), पनीर दही, घी | भार |
| 5 | विद्युत केबिल | लम्बाई या भार |
| 6 | विद्युत तार | लम्बाई या भार |
| 7 | बाड़ लगाने के लिए तार | लम्बाई या भार |
| 8 | सुगन्ध रहित केश तेल | भार |
| 9 | फल और साग भाजी | संख्या या भार |
| 10 | भट्टी तेल | भार या आयतन |
| 11 | अलसी का तेल और अन्य वनस्पति तेल | भार या आयतन |
| 12 | भारी अवशिष्ट ईंधन तेल | भार |
| 13 | औद्योगिक डीजल ईंधन | आयतन |
| 14 | मधु, माल्ट–सार, गोल्डन सिरप ट्रीकल | भार |
| 15 | आइसक्रीम और अन्य तत्सदृश हिमशीतित उत्पाद | भार या आयतन |
| 16 | द्रव रसायन | भार या आयतन |
| 17 | द्रवित पेट्रोलियम गैस | भार |
| 18 | कील, लकड़ी के पेंच | संख्या या भार |
| 19 | पेन्ट(पेस्ट पेन्ट या ठोस पेन्ट से भिन्न)वार्निश और वार्निश स्टेन्स, इनेमल | आयतन |
| 20 | पापड़ | संख्या और भार |
| 21 | पेस्ट पेन्ट/ठोस पेन्ट | भार |
| 22 | रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मधुर निर्मितियां | भार |
| 23 | तैयार वस्त्र | संख्या और आकार |
| 24 | सभी प्रकार के सॉस | भार |
| 25 | टायर और ट्यूब | संख्या |
| 26 | सूत | भार या सूत की लम्बाई |

**अनुसूची–दो (क)**

नियम 11 (1) देखिये ,

प्रपत्र– LM-1

**विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र,**

सेवामें,

______________________

| कम संख्या | आवेदकों द्वारा भरा जाएगा | निरीक्षण अधिकारी की टप्पणी |
|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 |

1. विनिर्माता समुत्थान(कनसर्न) का नाम जिसके लिये लाइसेंस वांछित है–

2 समुत्थान का पूरा पता। यदि परिसर स्वामित्व मे/किराये पर/पट्टे पर लिया गया है तो आवश्यक अभिलेख संलग्न करें।

3 कर्मशाला/कारखाना के स्थापना का दिनांक–

4 स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक) (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–

5. कारखाने/दुकान/प्रतिष्ठान/नगरपालिका व्यवसाय लाइसेंस का रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और वर्तमान संख्या–

6. वर्तमान में विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति–

7. विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं की किस्म, अर्थात्
   (एक) बाट
   (दो) माप
   (तीन) तौल के उपकरण
   (चार) माप के उपकरण
   प्रत्येक मामले में ब्योरे सहित–
8. नियोजित/नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या
   (एक) कुशल
   (दो) अर्ध कुशल
   (तीन) अकुशल
   (चार) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ
9. विनिर्मित किये जाने वाले बाटों और मापों पर ठप्पा लगाए जाने के लिए आशायित मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह–

10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उपसाधन जो बाटों, मापों आदि के विनिर्माण के लिये उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्योरे –

11. संधानशाला/कर्मशाला मे सुविधाओं की व्यवस्थाओं का विवरण। स्वामित्व में, या दीर्घकालिक पट्टे पर है, आदि–
12. महत्वपूर्ण उपांगों आदि की इस्पात ढलाई और कठोरता परीक्षण के

लिए सुविधायें या अन्य संसाधन–

13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता–

14. सरकार या वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का ब्योरा।
यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए –

15. बैंकरों का नाम, यदि कोई हो –

16 वैट/बिक्रीकर पंजीकरण संख्या/सी0एस0टी0संख्या/व्यवसाय कर पंजीकरण संख्या/आय कर पंजीकरण संख्या –

17. क्या आपने इसके पहले भी विनिर्माता लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ? यदि हाँ, तो कब और क्या परिणाम हुआ ?

18. (क) क्या विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित मद (मदो) को राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर अथवा दोनो जगह विक्रय किया जायेगा?
(ख) भारत सरकार से प्राप्त नमूना अनुमोदन का विवरण।
(ग) अपने उत्पाद का नमूना, जिसके लिये लाइसेंस चाहते है निरीक्षण के लिये कब प्रस्तुत करेगें ?

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/ हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान........................................
दिनांक.................................... हस्ताक्षर और पदनाम

**राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए**

आवेदन की प्राप्ति का दिनांक :
आवेदन की क्रम संख्या :
निरीक्षण का दिनांक :
निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :
स्थान........................................
दिनांक....................................

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर ओर पदनाम

**लाइसेंस प्राधिकारी का अन्तिम आदेश**

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।
लाइसेंस संख्या...................................................

....................................तक विधिमान्य।

स्थान........................................
दिनांक....................................

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची–दो (क)**
नियम 11 (1) देखिये ,
प्रपत्र–LR–1

**विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के मरम्मतकर्ताओं के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन,**

सेवामें,
________________________

| क्रम संख्या | आवेदकों द्वारा भरा जायगा | निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1. लाइसेंस चाहने वाले समुत्थान का नाम

2. कर्मशाला का पूरा पता

3. (क) समुत्थान का पूरा पता। यदि परिसर स्वामित्व मे/किराये पर/पट्टे पर लिया गया है तो आवश्यक अभिलेख संलग्न करें।

   (ख) स्थापना का दिनांक

4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–

5. दुकान/प्रतिष्ठान/चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और दिनांक

6. व्यवसाय कर/आयकर पंजीकरण संख्या आदि, यदि कोई है

7. मरम्मत किये जाने वाले प्रस्तावित बाटो और मापो की किस्म

8. क्षेत्र जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं

9. इस कार्य क्षेत्र में अपना पूर्व अनुभव बतायें

10. नियोजित/नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या

    (एक) कुशल

    (दो) अर्ध कुशल

    (तीन) अकुशल

    (चार) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी

11. उपलब्ध मशीनरी/औजारों/उपसाधनों का विवरण

12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता है ?

13. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाट आदि का पर्याप्त
स्टाक है ? कृपया उसका ब्योरा दीजिये

14. क्या आपने इसके पूर्व मरम्मतकर्ता लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ?
यदि हां, तो कब और उस आवेदन का क्या हुआ ?

---

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिऐ सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.......................................

दिनांक...................................          हस्ताक्षर और पदनाम

**राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए**

आवेदन की प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण का दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

स्थान......................................

दिनांक...................................

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

**लाइसेंस प्राधिकारी का अन्तिम आदेश**

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

लाइसेंस संख्या.............................................

.............................................तक विधिमान्य

स्थान......................................................
दिनांक...................................................

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची–दो (क)**
नियम 11 (1) देखिये ,
प्रपत्र–LD-1

**विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के व्यवहारी के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन,**

सेवामें,

______________________

| क्रम संख्या | आवेदकों द्वारा भरा जायगा | निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1. लाइसेंस चाहने वाले अधिष्ठान / दुकान / व्यक्ति का नाम

2. अधिष्ठान आदि का पूरा पता

3. स्थापन का दिनांक

4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता / पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–

5. दुकान / प्रतिष्ठान / चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और दिनांक

6. विक्रय के लिये वर्तमान में प्रस्तावित बाटों और मापों का प्रवर्ग–

7. वैट / सी0एस0टी0 / व्यवसाय कर / आय कर / बिक्री कर पंजीकरण की संख्या–

8. क्या आप बाटों आदि का राज्य / देश से बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति का स्रोत बताइए। (विनिर्माता के व्यापार चिन्ह / मोनोग्राम के ब्योरे और उसकी लाइसेंस संख्या दीजिए) और दीजिये–

   (क) बाटों और मापों के आयातकर्ता की पेजीकरण संख्या, यदि कोई है;

   (ख) भारत मे आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार का नमूना अनुमोदन

9. क्या आपने कभी इस राज्य में या अन्यत्र व्यवहारी के लाइसेंस के लिए पहले भी आवेदन किया है ? यदि हां तो ब्योरे दीजिए।

## आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/ हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिऐ सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.......................................

दिनांक..................................

. हस्ताक्षर और पदनाम

## राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाय

आवेदन की प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण का दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

---

## लाइसेंस प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

लाइसेंस संख्या.............................................

...............................................तक विधिमान्य

स्थान.....................................................

दिनांक..................................................

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची–दो (ख)**
नियम 11 (2) देखिये ,
प्रपत्र–LM–2

**विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन,**

सेवामें,

____________________

| **कम संख्या** | **आवेदकों द्वारा भरा जायेगा** | **निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | विनिर्माता समुत्थान का नाम और पूरा पता, जिसके लिये लाइसेंस का नवीकरण वांछित है– | |
| 2. | विनिर्माता लाइसेंस संख्या– | |
| 3. | स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)– | |
| 4. | (क) ऐसे बाटों और मापों की किस्म जिनका स्वीकृत लाइसेंस के अनुसार विनिर्माण किया जाता है– | |
| | (ख) क्या आप कोइ्र परिवर्तन करना चाहते हैं ? | |
| 5. | आपके द्वारा विनिर्मित बाटों और मापों पर प्रयुक्त मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह– | |
| 6. | कर्मशाला में उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे– | |
| 7. | विगत पाँच वर्षो में उत्पादन और विक्रय का विवरण– | |
| 8. | दुकान/समुत्थान का पंजीकरण संख्या और दिनांक– | |
| 9. | वैट/ बिक्री कर/सी0एस0टी0/व्यवसाय कर/आय कर पंजीकरण संख्या– | |

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/ हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिऐ सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक.........................................को उप कोषागार/बैंक में...................................रूपये (रूपये........... .......................मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.......................................

दिनांक.................................. हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची–दो (ख)**

नियम 11 (2) देखिये ,

प्रपत्र–LR–2

**विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों की मरम्मत करने वाले के रूप में लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन,**

सेवामें,

______________________

| क्रम संख्या | आवेदकों द्वारा भरा जायगा | निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1. लाइसेंस का नवीकरण चाहने वाले मरम्मतकर्ता समुत्थान/ व्यक्ति का नाम और पूरा पता–

2. मरम्मतकर्ता लाइसेंस संख्या–

3. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)

4. वर्तमान दुकान/समुत्थान/नगरपालिका व्यापार लाइसेंस का पंजीकरण संख्या और दिनांक–

5. वैट/ बिक्री कर/सी0एस0टी0/व्यवसाय कर/आय कर पंजीकरण संख्या–

6. (क) ऐसे बाटों और मापों की किस्में जो स्वीकृत लाइसेंस के अनुसार मरम्मत की जाती है–

   (ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं–

7. क्षेत्र, जिसमें आप क्रियाशील हैं–

8. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाटों आदि का पर्याप्त स्टाक है–

8. स्टाम्पन की विशिष्टियों सहित ब्योरे दीजिए–

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान ( प्रवर्तन ) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक..........................................को उप कोषागार/बैंक में...................................रूपये (रूपये.......................................मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान........................................

दिनांक.............................                                        हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची–दो (ख)**
**नियम 11 (2) देखिये ,**
**प्रपत्र–LD–2**

**विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के व्यवहारियों के रूप में लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन,**

सेवामें,
____________________

| क्रम संख्या | आवेदकों द्वारा भरा जायगा | निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1. लाइसेंस का नवीकरण चाहने वाले अधिष्ठान / दुकान / व्यक्ति का नाम और पता–

2. व्यवहारी लाइसेंस संख्या–

3. स्थापना का दिनांक–

4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता / पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)

5. वर्तमान दुकान / समुत्थान / नगरपालिका व्यापार लाइसेंस संख्या और दिनांक–

6. वर्तमान में बेचे जाने वाले बाटों और मापों का प्रवर्ग–

7. वैट / बिक्री कर / सी0एस0टी0 / व्यवसाय कर / आय कर पंजीकरण की संख्या–

8. क्या आप राज्य / देश के बाहर के स्थानों से बाटों और मापों आदि का आयात करना चाहते हैं ? यदि हां, तो राज्य (राज्यों) / देश (देशों) से आपूर्ति के स्त्रोत इंगित करें। ( विनिर्माता के व्यापार चिन्ह / मोनोग्राम का ब्योरा और उसकी लाइसेंस संख्या दीजिए)

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया हे और मैं / हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ / हैं।

मैंने / हमने दिनांक.....................................................को उप कोषागार / बैंक में..................................................... रूपये (रूपये...............................................मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न हैं।

ऊपर दी गई सभी सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.......................................
दिनांक..................................

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची–तीन**
नियम 11 (3) देखिये ,
लाइसेंस देने का प्रपत्र
प्रपत्र– LM–3

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय**
**<u>बाटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों के विनिर्माण के लिये लाइसेंस</u>**

लाइसेंस संख्या .......... वर्ष ......................

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा
————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————— को
(पक्षकार य पक्षकारों के नाम ओर पते) निम्नलिखित के विनिर्माण के लिये लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
(यहॉ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा विनिर्मित किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए——————————.————————————————————
——————————————————————————.में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस..........................................से ..........................................तक विधिमान्य है।

4. विनिर्माता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

5. विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम निम्नलिखित रूप में है :–
——————————————————————————————————————————

(मोहर)

स्थान............................................
दिनांक..........................................

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

**टिप्पणी –** फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा–1 में दिये जाने चाहिए।

## लाइसेंस की शर्तें

1— वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाए—

(क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(ख) समय—समय पर संशोधित अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू—गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति मे और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण पर लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा।

(च) यथास्थिति, विनिर्मित और राज्य मे प्रयोग के उद्देश्य के लिये बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों की बिक्री के पूर्व सत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन, लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

2— इस लाइसेंस के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

## नवीकरण प्रविष्टियॉ

| | |
|---|---|
| चालू संख्या............................दिनांक ..................... वर्ष.............................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ......................... वर्ष.................................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |
| चालू संख्या............................दिनांक ...................... वर्ष.............................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ............................ वर्ष..................................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |
| चालू संख्या............................दिनांक ..................... वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ............................ वर्ष..................................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |

**अनुसूची–तीन**

नियम 11 (3) देखिये ,

लाइसेंस देने का प्रपत्र

प्रपत्र–LR–3

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

**विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय**

**<u>बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की मरम्मत के लिये लाइसेंस</u>**

लाइसेंस संख्या .......... वर्ष ......................

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतदद्वारा
————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————को
(पक्षकार य पक्षकारों के नाम ओर पते) निम्नलिखित की मरम्मत के लिय लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।
————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————
(यहॉ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा मरम्मत किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए ————————————————————
————————————————————में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस...........................................से ..........................................तक विधिमान्य है।

4. मरम्मतकर्ता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

5. पक्षकार को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बाटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिये लाइसेंस दिया जाता है।

————————————————————————————————————————

(मोहर)

स्थान.............................................

दिनांक..........................................

(हस्ताक्षर)

नियंत्रक

विधिक माप विज्ञान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

**टिप्पणी** – फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा–1 में दिये जाने चाहिए।

## लाइसेंस की शर्तें

1— वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है—

(क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमो के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(ख) अधिनियम या तत्समय प्रव्त्त नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू—गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति मे और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण पर लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा।

(च) (i) सम्यक् रूप से मरम्मत किये गये यथास्थिति बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणपों को उपयोक्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14 (1) मे विनिर्दिष्ट सत्यापन ओर स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ii) बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्य होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहाँ इस प्रक्रिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प मिट जाती है, अलग हो जाती है या टूट जाती है, उसे उपयोक्ता को देने के पूर्व सम्यक रुप से मरम्मत करते हुए पुनःसत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

2— इस लाइसेंस के जारी किये जाने के प्श्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

## नवीकरण प्रविष्टियॉ

| | |
|---|---|
| चालू संख्या............................दिनांक .....................<br>वर्ष.............................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक .........................<br>वर्ष.................................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |
| चालू संख्या............................दिनांक ......................<br>वर्ष.............................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ............................<br>वर्ष..................................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |
| चालू संख्या............................दिनांक ......................<br>वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ...........................<br>वर्ष..................................के लिए नवीकृत किया गया।<br><br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |

**अनुसूची–III**
**नियम 11 (3) देखिये ,**
**लाइसेंस देने का प्रपत्र**
**प्रपत्र–LD –3**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय**
**बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के व्यवहारी के लिये लाइसेंस**

लाइसेंस संख्या............................................... वर्ष...............

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा
——————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— को
(पक्षकार य पक्षकारों के नाम ओर पते) निम्नलिखित में व्यवहार के लिये लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।
——————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
(यहॉ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा व्यवहार किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए ———————————————————
—————————————————.में अवस्थित उसकी भू–गृहादि के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस...........................................से ...........................................तक विधिमान्य है।

4. व्यवहारी नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

(मोहर)

दिनांक ..........................................

स्थान ...........................................

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

## लाइसेंस की शर्तें

1— वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है—

(क) अधिनियम ओर तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त, नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू—गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध है किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति मे और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण पर लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा।

(च) लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पूर्व नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(छ) किसी अमानक बाट या माप को न तो बेचेगा, न बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, न प्रदर्शित करेगा, और न कब्जे में रखेगा।

2— इस लाइसेंस के जारी करने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाय, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है

## नवीकरण प्रविष्टियॉ

| | |
|---|---|
| चालू संख्या............................दिनांक ......................<br>वर्ष.............................के लिए नवीकृत किया गया।<br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ........................<br>वर्ष.................................के लिए नवीकृत किया गया।<br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |
| चालू संख्या............................दिनांक ......................<br>वर्ष.............................के लिए नवीकृत किया गया।<br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ............................<br>वर्ष..................................के लिए नवीकृत किया गया।<br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |
| चालू संख्या............................दिनांक ......................<br>वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।<br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। | चालू संख्या............................दिनांक ............................<br>वर्ष..................................के लिए नवीकृत किया गया।<br>(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक। |

## अनुसूची–चार

नियम 11 (4) और (5)देखिये ,

**बाटों और मापों के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं या व्यवहारियों के लिए लाइसेंस और नवीकरण फीसः**

(1) लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस नवीकरण के लिए–

| | |
|---|---|
| (i) विनिर्माता | रूपये 500.00 प्रति वर्ष |
| (ii) मरम्मतकर्ता | रूपये 100.00 प्रति वर्ष |
| (iii) व्यवहारी | रूपये 100.00 प्रति वर्ष |

| | |
|---|---|
| (2) लाइसेंस मे संशोधन | रूपये 50.00 |
| (3) लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये | रूपये 10.00 |

## अनुसूची–पाँच

नियम 11 (6) देखिये ,

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय बाटों, मापों, तौल/माप के उपकरणों के लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं/मरम्मतकर्ताओं/व्यवहारियों का रजिस्टर

.............................................................................................................................का कार्यालय

| लाइसेंस संख्या | जारी करने/नवीनीकरण का दिनांक | विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/व्यवहारी का नाम और पूरा पता | स्थान जहां कर्मशाला/काराखाना स्थित है | विनिर्मित/मरम्मत/बेची जाने वाली वस्तुयें |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| प्रयुक्त व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम | लाइसेंस के रद्द करने से सम्बन्धित आदेश | अपील का परिणाम | सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**टिप्पणी–** स्तम्भ(4) व्यवहारियों पर लागू नहीं होता है। स्तम्भ (6) मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों पर लागू नहीं होता है।

## अनुसूची–छः

नियम 11 (8) देखिये ,

### लाइसेंस प्राप्त मरम्मतकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप

बाटों और मापों के, जिनके अन्तर्गत तौल ओर माप के उपकरण भी हैं, के मरम्मतकर्ता –––––– रूपया 200.00

## अनुसूची–सात

नियम 13 देखिये ,

प्रपत्र– BM–4

बाटों और मापों के विनिर्माताओं द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1– विनिर्माता का नाम और पता–

2– बाट या माप का वर्णन

3– (एक) विनिर्माता लाइसेंस संख्या

(दो) दिनांक जब लाइसेंस जारी किया गया था

(तीन) लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि

4. लाइसेंस को निलम्बित या प्रतिसंहरित करने वाले आदेश की, यदि कोई हो विवरण :

| क्रम संख्या | मास | पूर्व मास का अविक्रित स्टाक | मास के दौरान विनिर्मित परिमाण | कुल (3+4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| राज्य के भीतर विक्रय किया गया | | राज्य के बाहर विक्रय किया गया | | | कुल विक्रय | अतिशेष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विक्रीत मदों की संख्या | सम्प्रेषण बाउचर की संख्या व दिनांक | राज्य का नाम | विक्रीत मदों की संख्या | संप्रेषण बाउचर की संख्या व दिनांक | (6+9) | (5–11) | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## अनुसूची–सात

नियम 13 देखिये ,

प्रपत्र–LR–4

**बाटों, मापों के सम्बन्ध में मरम्मतकर्ता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर**

मरम्मतकर्ता का नाम और पता.............................................................................................................

लाइसेंस संख्या..............................                                   लाइसेंस का दिनांक.............................

| क्रम संख्या | दिनांक | उपभोक्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ है | मरम्मत के लिए बुक की गई मदें और उनकी संख्यायें | उपयोक्ता को दी गयी रसीद संख्या और दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| मरम्मत प्रभार की धनराशि | सत्यापन फीस की धनराशि | प्रभारित कुल धनराशि | उपयोक्ता को वापस करने का दिनांक | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## अनुसूची–सात

नियम 13 देखिये ,

प्रपत्र–LD–4

**बाटों, मापों के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर**

1– व्यवहारी का नाम और पता ————————————————————————

2– बाट या माप का वर्णन ————————————————————————

3– (एक) व्यवहारी लाइसेंस संख्या ————————————————————

(दो) लाइसेंस जारी करने का दिनांक ————————————————————

(तीन) लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि ——————————————————

4– लाइसेंस के निलम्बन या प्रतिसंहरण करने वाले आदेश का, यदि कोई हो, विवरण ——————
:

5– बाट या माप का प्रवर्ग (क या ख) ————————————————————

| क्रम संख्या | मास | पूर्व मास का अविक्रित स्टाक | मास के दौरान राज्य के भीतर से लाया गया | मास के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया | योग (3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| राज्य के भीतर विक्रय किया गया | | राज्य के बाहर विक्रय किया गया | | | कुल विक्रय (7+9) | अतिशेष (5–11) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विक्रीत मदों की संख्या | संम्प्रेषण बाउचर की संख्या और दिनांक | विक्रीत मदों की संख्या | सम्प्रेषण बाउचर की संख्या और दिनांक | राज्य का नाम | | | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**अनुसूची—आठ**

नियम 16 (3) देखिये ,

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम................................................................................ संख्या...........................................

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज दिनांक ........................................को .................................................. ............................................................................................................................................................................... के निवासी से सम्बन्धित नीचे उल्लिखित बाटों, मापों आदि को सत्यापित और स्टाम्पित/अस्वीकार कर दिया है।

| परिमाण | अंकित मान | | तौल के उपकरण | | | | माप के उपकरण | सत्यापन फीस रु0 | वहन, प्रवहन, समायोजन प्रभार आदि रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बाट | माप | क्षमता | वर्ग | विनिर्माता | किस्म | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

..................................के द्वारा मरम्मत की गई/प्रस्तुत किया गया।

.................................. .(हस्ताक्षर)

कोषागार रसीद की संख्या............................ दिनांक............................के माध्यम से कुल रूपया .............................जमा किया गया।

अगले सत्यापन का शोध्य दिनांक.............................

विधिक माप विज्ञान अधिकारी

नोटः— अस्वीकृत बाटों, मापों आदि के सम्बन्ध मे विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक मद के विरुद्व अस्वीकार किये जाने का कारण उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति का प्रमाणपत्र देगा।

**अनुसूची— नौ**

( नियम 17 (1) देखिये )

बाटों, मापों, तौल और माप के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीसः—

1. **(क) बुलियन बाटः**

| अंकित मान | प्रति बाट फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 10 कि0ग्रा0 | 30.0 |
| 5 कि0ग्रा0 | 20.0 |
| 2 कि0ग्रा0 | 20.0 |
| 1 कि0ग्रा0 | 20.0 |
| 500 ग्रा0 | 15.0 |
| 200 ग्रा0 | 15.0 |
| 100 ग्रा0 | 15.0 |
| 50 ग्रा0 | 15.0 |
| 20 ग्रा0 | 15.0 |
| 10 ग्रा0 | 15.0 |
| 5 ग्रा0 | 15.0 |
| 2 ग्रा0 | 15.0 |
| 1 ग्रा0 | 15.0 |

(ख) कैरेट बाट:

| अंकित मान<br>(1) | प्रति बाट फीस (रु0)<br>(2) |
|---|---|
| 100 ग्रा0 (500 कैरेट ) | 20.00 |
| 40 ग्रा0 (200 कैरेट ) | 20.00 |
| 20 ग्रा0 (100 कैरेट ) | 20.00 |
| 10 ग्रा0 (50 कैरेट ) | 20.00 |
| 4 ग्रा0(20 कैरेट ) | 20.00 |
| 2 ग्रा0 (10 कैरेट ) | 20.00 |
| 1 ग्रा0 (5 कैरेट ) | 20.00 |
| 400 मि0ग्रा0 (2 कैरेट ) | 20.00 |
| 200 मि0ग्रा0 (1 कैरेट ) | 20.00 |
| 100 मि0ग्रा0 (0.5 कैरेट ) | 20.00 |
| 40 मि0ग्रा0 (0.02 कैरेट ) | 20.00 |
| 20 मि0ग्रा0 (0.01 कैरेट ) | 20.00 |
| 10 मि0ग्रा0 (0.05 कैरेट ) | 20.00 |
| 4 मि0ग्रा0(0.02 कैरेट ) | 20.00 |
| 2 मि0ग्रा0 (0.01 कैरेट ) | 20.00 |
| 1 मि0ग्रा0 (0.005 कैरेट ) | 20.00 |

(ग) सिलिन्ड्रिकल नॉब टाइप बाट :

| अंकित मान<br>(1) | प्रति बाट फीस (रु0)<br>(2) |
|---|---|
| 10 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 5 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 2 कि0ग्रा0 | 15.00 |
| 1 कि0ग्रा0 | 10.00 |
| 500 ग्रा0 | 5.00 |
| 200 ग्रा0 | 5.00 |
| 100 ग्रा0 | 5.00 |
| 50 ग्रा0 | 5.00 |
| 20 ग्रा0 | 5.00 |
| 10 ग्रा0 | 5.00 |
| 5 ग्रा0 | 5.00 |
| 2 ग्रा0 | 5.00 |
| 1 ग्रा0 | 5.00 |

(घ) चादरी धातु बाट ( बुलियन से भिन्न ) :

| अंकित मान<br>(1) | प्रति बाट फीस (रु0)<br>(2) |
|---|---|
| 400 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 200 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 100 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 50 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 20 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 10 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 5 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 2 मि0ग्रा0 | 5.00 |
| 1 मि0ग्रा0 | 5.00 |

**(ङ) हेक्सागोनल, नॉब टाइप और पैरेलेलोपाइपिड लौह बाट :**

| अंकित मान | प्रति बाट फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 50 कि0ग्रा0 | 25.00 |
| 20 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 10 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 5 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 2 कि0ग्रा0 | 15.00 |
| 1 कि0ग्रा0 | 10.00 |
| 500 ग्रा0 | 5.00 |
| 200 ग्रा0 | 5.00 |
| 100 ग्रा0 | 5.00 |
| 50 ग्रा0 | 5.00 |
| 20 ग्रा0 | 5.00 |
| 10 ग्रा0 | 5.00 |
| 5 ग्रा0 | 5.00 |
| 2 ग्रा0 | 5.00 |
| 1 ग्रा0 | 5.00 |

**(च) उच्च क्षमता के तौल यंत्रों की जाँच के लिए मानक बाट :**

| अंकित मान | अधिकतम् क्षम्य सापेक्ष त्रुटि 0.5/10000 के समतुल्य फीस रु0 मे | अधिकतम् क्षम्य सापेक्ष त्रुटि 3.3/10000, 1.7/10000 और 1.0/10000 के समतुल्य फीस रु0 मे |
|---|---|---|
| 100 कि0ग्रा0 | 75.00 | 50.00 |
| 200 कि0ग्रा0 | 150.00 | 100.00 |
| 500 कि0ग्रा0 | 300.00 | 200.00 |
| 1000 कि0ग्रा0 | 750.00 | 500.00 |
| 2000 कि0ग्रा0 | 1500.00 | 1000.00 |
| 5000 कि0ग्रा0 | 3000.00 | 2000.00 |

**2. क्षमता माप :**

| अंकित मान | प्रति माप फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 100 लीटर और इससे अधिक | प्रथम 100 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 50.00 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 7.00 किन्तु अधिकतम् रु0 5000.00 |
| 50 लीटर | 50.00 |
| 20 लीटर | 20.00 |
| 10 लीटर | 20.00 |
| 5 लीटर | 10.00 |
| 2 लीटर | 10.00 |
| 1 लीटर | 10.00 |
| 500 मि0 ली0 | 10.00 |
| 200 मि0 ली0 | 10.00 |
| 100 मि0 ली0 | 10.00 |
| 50 मि0 ली0 | 10.00 |

| | |
|---|---|
| 20 मि0 ली0 | 10.00 |
| 10 मि0 ली0 | 10.00 |
| 5 मि0 ली0 | 10.00 |
| 2 मि0 ली0 | 10.00 |
| 1 मि0 ली0 | 10.00 |

3. **लम्बाई माप :**

**(क) अनम्य–**

| अंकित मान | प्रति लम्बाई माप फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2 मीटर | 10.00 |
| 1 मीटर | 10.00 |
| 0.5 मीटर | 20.00 |
| 1.00 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर ग्रेजुएटेड) | 20.00 |
| 0.50 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर ग्रेजुएटेड) | 20.00 |

**(ख) प्लास्टिक का बना/बुना हुआ/स्टील फीताः** .

| यथार्थता वर्ग | प्रति मीटर फीस रु0 मे |
|---|---|
| (1) | (2) |
| यथार्थता वर्ग–। | 1.00 |
| यथार्थता वर्ग–।। | 1.00 |
| यथार्थता वर्ग–।।। | 0.50 |

(ग) **फोल्डिंग स्केलः**

| अंकित मान | प्रति लम्बाई माप फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 मीटर | 10.00 |
| 0.5 मीटर | 10.00 |

**(घ) सर्वेक्षण चेनः**

| अंकित मान | प्रति लम्बाई माप फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 30 मीटर | 100.00 |
| 20 मीटर | 100.00 |

**4. बीम स्केल वर्ग क और वर्ग खः**

| अंकित मान | प्रति बीम स्केल फीस (रु0 |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 200 कि0ग्रा0 | 400.00 |
| 100 कि0ग्रा0 | 300.00 |
| 50 कि0ग्रा0 | 150.00 |
| 20 कि0ग्रा0 | 150.00 |
| 10 कि0ग्रा0 | 150.00 |
| 5 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 2 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 1 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 60.00 |

**5. बीम स्केल वर्ग ग औ वर्ग ध :**

| अंकित मान | प्रति बीम स्केल फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1000 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 500 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 300 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 200 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 100 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 50 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 20 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 10 कि0ग्रा0 | 20.00 |
| 5 कि0ग्रा0 | 15.00 |
| 2 कि0ग्रा0 | 15.00 |
| 1 कि0ग्रा0 | 15.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 10.00 |

**6. गैर–स्वचालित तौल उपकरण–यांत्रिक ( एनलॉग ) वर्ग।।। और ।।।। :**

| अंकित मान | प्रति तौल उपकरण फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 400 टन | 4000.00 |
| 300 टन | 3000.00 |
| 200 टन | 3000.00 |
| 150 टन | 2000.00 |
| 100 टन | 2000.00 |
| 80 टन | 2000.00 |
| 60 टन | 2000.00 |
| 50 टन | 2000.00 |
| 40 टन | 2000.00 |
| 30 टन | 2000.00 |
| 25 टन | 2000.00 |
| 20 टन | 2000.00 |
| 15 टन | 2000.00 |
| 10 टन | 1000.00 |
| 5 टन | 500.00 |
| 3 टन | 400.00 |
| 2 टन | 400.00 |
| 1500 कि0ग्रा0 | 300.00 |
| 1000 कि0ग्रा0 | 300.00 |
| 500 कि0ग्रा0 | 300.00 |
| 300 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 250 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 200 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 150 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 100 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 50 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 30 कि0ग्रा0 | 100.00 |

| | |
|---|---|
| 25 कि0ग्रा0 | 60.00 |
| 20 कि0ग्रा0 | 60.00 |
| 15 कि0ग्रा0 | 30.00 |
| 10 कि0ग्रा0 | 30.00 |
| 5 कि0ग्रा0 | 30.00 |
| 3 कि0ग्रा0 | 30.00 |
| 2 कि0ग्रा0 | 30.00 |
| 1 कि0ग्रा0 | 15.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 15.00 |

**7. गैर–स्वचालित तौल उपकरण–इलेक्ट्रॉनिक वर्ग।।। और वर्ग।।।।:**

| अंकित मान | प्रति तौल उपकरण फीस (रु0) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 400 टन | 4000.00 |
| 300 टन | 3000.00 |
| 200 टन | 3000.00 |
| 150 टन | 2000.00 |
| 100 टन | 2000.00 |
| 80 टन | 2000.00 |
| 60 टन | 2000.00 |
| 50 टन | 2000.00 |
| 40 टन | 2000.00 |
| 30 टन | 2000.00 |
| 25 टन | 2000.00 |
| 20 टन | 2000.00 |
| 15 टन | 2000.00 |
| 10 टन | 1000.00 |
| 5 टन | 1000.00 |
| 3 टन | 500.00 |
| 2 टन | 500.00 |
| 1500 कि0ग्रा0 | 250.00 |
| 1000 कि0ग्रा0 | 250.00 |
| 500 कि0ग्रा0 | 250.00 |
| 300 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 250 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 200 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 150 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 100 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 50 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 30 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 25 कि0ग्रा0 | 200.00 |
| 20 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 15 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 10 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 5 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 3 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 2 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 1 कि0ग्रा0 | 100.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 100.00 |

**8. गैर–स्वचालित तौल उपकरण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनो, वर्ग I और वर्ग II:**

| क्षमता<br>(1) | फीस (रु0)<br>(2) |
|---|---|
| 50 टन से अधिक | 3000.00 |
| 50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक | 2000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 1000.00 |
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि0ग्रा0 से अधिक | 500.00 |
| 50 कि0ग्रा0 से अनधिक किन्तु 10 कि0ग्रा0 से अधिक | 250.00 |
| 10 कि0ग्रा0 से अनधिक | 200.00 |

**9. स्वचालित तौल उपकरण :**

| क्षमता<br>(1) | फीस (रु0)<br>(2) |
|---|---|
| 100 टन से अधिक | 4000.00 |
| 100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक | 3000.00 |
| 50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक | 2000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 1000.00 |
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि0ग्रा0 से अधिक | 500.00 |
| 50 कि0ग्रा0 से अनधिक किन्तु 10 कि0ग्रा0 से अधिक | 250.00 |
| 10 कि0ग्रा0 से अनधिक | 200.00 |

**10. आयतन मापक उपकरणः**

(क) डिस्पेन्सिग पम्प, प्रति पम्प — रु0 1000.00 प्रति इकाई

(ख) योगकरण काउन्टर — रु0 500.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरणः

| क्षमता<br>(1) | फीस (रु0)<br>(2) |
|---|---|
| 100 लीटर से अधिक | प्रथम 100 लीटर के लिए रु0 500.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 250.00 |
| 100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक | 500.00 |
| 50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक | 250.00 |
| 20 लीटर से अनधिक | 200.00 |

**11. फ्लोमीटरः**

| | |
|---|---|
| फ्लोरेट 100 लीटर/मिनट तक | रु0 2000.00 |
| फ्लोरेट 100 लीटर/मिनट से अधिक किन्तु 500लीटर/मिनट तक | रु0 3000.00 |
| फ्लोरेट 500 लीटर/मिनट से अधिक | रु0 5000.00 |

**12. रेखीय मापक उपकरणः**

| | |
|---|---|
| टैक्सी मीटर, आटोरिक्शा मीटर | रु0 100.00 |
| अन्य मीटर | प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए रु0 50.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 मीटर या उसके भाग के लिए रु0 5.00 |

**13. डाक्टरी थर्मामीटर** रु0 0.50 प्रति इकाई

**14. पानी का मीटर** रु0 25 प्रति इकाई

**15. पेग मापकः**

| | |
|---|---|
| 30 मि0ली0 | 50.00 |
| 60 मि0ली0 | 50.00 |
| 100 मि0ली0 | 50.00 |

**16. सी0एन0जी0 डिस्पेन्सरः** रु0 1000.00 प्रति इकाई

**17. एल0पी0जी0 डिस्पेन्सरः** रु0 1000.00 प्रति इकाई

**18. काउन्टर मशीनः**

| | |
|---|---|
| (I) क्षमता 10 कि0ग्रा0 तक | रु0 20.00 प्रति इकाई |
| (II) 10 कि0ग्रा0 से अधिक | रु0 50.00 प्रति इकाई |

**अनुसूची–10**

{ नियम 26(1) देखिये }

**विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश के विरुद्व अपील का प्रपत्र–**

1. अपीलकर्ता का नाम और पता–

2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान का आदेश संख्या व दिनांक, जिसके विरुद्व अपील की गयी है–

3. अपीलकर्ता व्यक्तिगत रुप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई चाहता है–

4. अपील का आधार

अनुसूची–11
(नियम 25 देखिए)

## विभिन्न अपराधों के लिये समाधान शुल्क

| क्र0 सं0 | धारा एवं अपराधों की प्रकृति | दंडात्मक धारा | समाधान शुल्क |
|---|---|---|---|
| 1. | धारा 8 (3) मानक बाट, माप एवं गणना प्रणाली से भिन्न बाट, माप एवं गणना प्रणाली का प्रयोग | 25 | 2500.00 / –रुपये |
| 2. | धारा 8 (4) मानकों के न अनुरूप बाट या माप का विनिर्माण | 27 | 2000.00 / –रुपये |
| 3. | धारा 10 निर्धारित बाट, माप या संख्या द्वारा वस्तुओं आदि के संबंध में संव्यवहार या लेन देन या संविदा | 28 | 1000.00 / –रुपये |
| 4. | धारा 11 मूल्य सूची का उल्लेख करना या घोषणा करना या जारी या प्रदर्शित करना या बाट या माप या गणना प्रणाली के मानक एक 'क' से भिन्न मूल्य का परिवर्तन | 29 | 1000.00 / –रुपये |
| 5. | धारा 12 संविदा या करार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम में सर्विस पर कुछ पदार्था या वस्तुएं मांगना या प्राप्त करना | 30 | 1000.00 / –रुपये |
| 6. | धारा 17 विनिर्माता या व्यापारी या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेख रजिस्टरों का रखरखाव तथा मांगने पर बाट, माप प्रलेख रजिस्टर का प्रस्तुतीकरण | 31 | 500.00 / –रुपये |
| 7. | धारा 18 (1) विनिर्माता / व्यापारी द्वारा पूर्व पैक की गई वस्तु के संबंध में घोषणा का अनुपालन | 36(1) | 2500.00 / –रुपये |
| 8. | धारा 18 (1) विनिर्माता द्वारा पहले पैक की गई वस्तु की शुद्ध मात्रा / मांग / आवश्यकता का अनुपालन | 36(2) | 15000.00 / –रुपये |
| 9. | धारा 23 केवल लाइसेंस के साथ बाट या माप का विनिर्माता / मरम्मत / बिक्री | 45 | 5000.00 / –रुपये |
| 10. | धारा 23 केवल लाइसेंस के साथ बाट या माप की मरम्मत / बिक्री | 46 | 2000.00 / –रुपये |
| 11. | धारा 24 लेन देन में या सुरक्षा में प्रमाणित बाट या माप का प्रयोग | 33 | 5000.00 / –रुपये |
| 12. | धारा 33 सत्यापन के बिना बाट या माप की बिक्री | 33 | 5000.00 / –रुपये |
| 13. | धारा 34 अमानक बाटों या मापों से वस्तुओं की बिक्री या डिलवरी | 34 | 2500.00 / –रुपये |
| 14. | धारा 35 अमानक वाट या माप से सेवा प्रदान करना | 35 | 2500.00 / –रुपये |
| 15. | धारा 47 लाइसेंस के साथ छेडछाड़ | 47 | 5000.00 / –रुपये |
| 16. | धारा 53 (3) अधिनियम के अन्तर्गत बनाए किसी नियम का उपबंध | 53(3) | 500.00 / –रुपये |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(धर्मपाल)
सचिव (विधिक माप विज्ञान)
(बाट एवं माप विभाग)